



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 3940/2026**

चन्द्र पाल

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता     | : - आरिफ हुसैन     |
| विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता | :- शासकीय अधिवक्ता |

---

**न्यायालय संख्या - 11**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्तागण श्री पवन कुमार तिवारी और श्री अनुराग मिश्रा द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रार्थी द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- संडीला, जिला - हरदोई में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 80(2), 85, 238 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को वर्तमान मामले में गलत फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया कि प्रार्थी के पुत्र का विवाह शिकायतकर्ता की पुत्री

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के साथ 18.11.2024 को हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक, जो एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था, नोएडा में नियुक्त था और प्रार्थी का पुत्र, जो ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय चला रहा था, अपनी पत्नी के साथ संडीला, हरदोई में रह रहा था। प्रार्थी को उसके पुत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसके और उसकी पत्नी के मामा के बीच कुछ व्यावसायिक लेनदेन चल रहा था। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर पुत्र और बहू के बीच कुछ विवाद चल रहा था, इसलिए प्रार्थी ने विवाद को सुलझाने के लिए शिकायतकर्ता से बात की थी। यह तर्क पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ने कभी भी शिकायतकर्ता या परिवार के किसी अन्य सदस्य से किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद के कारण शिकायतकर्ता की पुत्री ने संडीला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब यह बात प्रार्थी के संज्ञान में आई तो मृतका के परिजनों को सूचना दी गई और वे पंचायतनामा के समय उपस्थित थे। हालांकि, बाद में नाराजगी के कारण, प्रार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दहेज की मांग और उत्पीड़न के सामान्य आरोपों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह भी बताया गया कि मृतका के नन्दोई मनोज कुमार मौर्य को भी इस अपराध में घसीटा गया था, लेकिन विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा उसका नाम हटा दिया गया। पुरजोर तरीके से यह कहा गया कि मृतका के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी के कारण श्वासावरोध है।

अंत में यह तर्क दिया गया कि निकट भविष्य में विचारण के पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है और प्रार्थी, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 07.02.2026 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रार्थी जमानत का हकदार है। यह भी कहा गया कि प्रार्थी कभी भी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रार्थी को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि प्रार्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं और वह भी दहेज की मांग कर रहा था। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि मृतका के मामा अनिल कुमार मौर्य द्वारा प्रार्थी के पुत्र को, जो संडीला में ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय चला रहा था, को धन दिया गया था, न कि प्रार्थी को।

6. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, साक्षियों के बयानों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी नोएडा में गार्ड के रूप में कार्यरत था। यह भी स्पष्ट है कि परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, मृतका के मामा द्वारा प्रार्थी के पुत्र के खाते में धन दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थी - चन्द्र पाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा एवं विद्वान् अवर न्यायालय जमानत रद्द करने के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।